

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

115

प्रकरण संख्या 327 / 2022

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय - 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान- 302020, शाखा कार्यालय - प्रथम तल, जय कॉम्प्लेक्स, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, रोड नम्बर 03, झुंझुनू, राजस्थान - 333001

-- प्रार्थी बैंक

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री मुंगाराम, जाति रैगर, निवासी 356, खेतान मौहल्ला, गुढागौडजी, जिला झुंझुनू राजस्थान, दूसरा पता प्लाट खसरा नं० 1719/744, ग्राम टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान।
2. गुडिया देवी पत्नि बृजमोहन, जाति रैगर, निवासी 356, खेतान मौहल्ला, गुढागौडजी, जिला झुंझुनू राजस्थान।
3. सम्पत कुमार पुत्र श्री रिछपाल, निवासी 159, ककराना, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

--

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री परिवेश कुमार (आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड) - प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री मुनेश कुमार धानिया- अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 की ओर से उपस्थित नहीं।
3. एडवोकेट श्री सुरेश कुमार शर्मा- अप्रार्थी सं० 3 की ओर से उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 10.04.2023

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड एक नियमित निकाय है जिसका कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान- 302020 में स्थित है प्रार्थी कम्पनी का एक शाखा कार्यालय -प्रथम तल, जय कॉम्प्लेक्स, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, रोड नम्बर 03, झुंझुनू, राजस्थान - 333001 में भी स्थित है। प्रार्थी कम्पनी जो एक नियमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्रार्थी कम्पनी का प्राधिकृत अधिकारी माला राम है। वह रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है। उन्हें प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हें प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण की ऋणदाता/प्रार्थी कम्पनी के हक में मोरगेज की गई सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है- सम्पत्ति अप्रार्थीगण की एक पट्टेशुदा सम्पत्ति सं० 1 अप्रार्थी बृजमोहन के नाम से एक प्लाट खसरा नं० 1719/7446, ग्राम टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। सम्पत्ति सं० 1- उक्त खसरा नं० 1719/7446 की सम्पत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार है:-
उत्तर में - विक्रता की जमीन




जिला कलक्टर झुंझुनू

दक्षिण में	-	मेवा देवी का प्लाट
पूर्व में	-	रास्ता
पश्चिम में	-	खेमचन्द की जमीन
कुल क्षेत्रफल	-	178 वर्ग गज

अप्रार्थी सं० 1 ने बतौर ऋणी एवं अप्रार्थी सं० 2 ने बतौर सहऋणी व अप्रार्थी सं० 3 बतौर गारण्टर ने धारा 2 में वर्णित उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड से दिनांक 08.09.2015 को एक ऋण अनुबंध सं० LNNKA00615-160018470 निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से क्रमशः 6,00,000/- का ऋण प्रार्थी कम्पनी की तयशुदा शर्तों पर लिया था जिसके अनुसार उक्त ऋण का भुगतान अप्रार्थीगण मासिक किस्तों में प्रार्थी कम्पनी को करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण अनुबंध के अन्तर्गत लिये गये ऋण व उसके ब्याज के पूर्ण भुगतान सिक्वोरिटी के रूप में धारा 2 में वर्णित पट्टेशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के पक्ष में बंधक किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण का खाता एन०पी०ए० घोषित कर दिया। अप्रार्थीगण के खाते में मय ब्याज व पेनल्टी की राशि का भुगतान भी इस राशि का पूर्ण भुगतान करने के साथ करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड ने उक्त एक्ट की अ०धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2021 को अप्रार्थीगण को एक नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी कम्पनी को नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी कम्पनी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड को नहीं किया है। वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा के प्रावधान 14 के अनुसार प्रार्थी कम्पनी धारा सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का श्रीमान के द्वारा कब्जा प्राप्त करने व वेक्य कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है के उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश इस अमर का फरमाये जावे कि प्रार्थना पत्र की मद सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा क्षेत्र से प्रार्थी को स्वयं ऐजेन्ट या नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे, यह भी आदेशित किया जावे कि आवश्यकता होने पर उस क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक स्वयं या अपने मातहत के माध्यम से प्रार्थना पत्र की मद सं० 2 में वर्णित प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा पुलिस बल द्वारा अप्रार्थीगण से प्राप्त करे तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्रत्याभूत सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का आदेश पारित करमावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गैरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 2 व अप्रार्थी सं० 3 स्वयं एवं उनके वकील बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं। एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारण्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।


वकील

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति जो कि अप्रार्थी सं० 1 अप्रार्थी बृजमोहन के नाम से एक प्लॉट खसरा नं० 1719/7446, ग्राम टोडी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 178 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 10.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल०एस०कुडी)

जिला कलक्टर एवं

जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू